झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

संकल्प

विषयः—झारखण्ड राज्य में अवस्थित पाँचो विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं पदाधिकारियों को राज्य सरकार के पदाधिकारी एवं कर्मियों के समतुल्य उत्पादन की राशि अधिकतम 10,00,000/— (दस लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

झारखण्ड राज्य के पाँचों विष्वविद्याल यथा—राँची विष्वविद्यालय, राँची, विनोबा भावे विष्वविद्यालय, हजारीबाग, सिदो—कान्हू मुर्मू विष्वविद्यालय, दुमका, नीलाम्बर—पीताम्बर विष्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू एवं कोल्हान विष्वविद्यालय, चाईबासा के षिक्षक एवं पदाधिकारियों को राज्य सरकार के कर्मियों के समतुल्य की राषि का भुगतान किये जाने से संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

2. वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या—660, दिनांक—28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के सेवी वर्ग के कर्मियों के लिए पेंषन, पारिवारिक पेंषन एवं उपादन प्रावधानों में फिटमेंट कमिटी की अनुषंसा के आलोक में दिनांक 01.01.06 अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति उपादान की अधिकतम राषि 10,00,000/— (दस लाख) रुपये निर्धारित की गई है। इस संबंध में झारखण्ड विष्वविद्यालय अधिनियम के तहत बनाये गये परिनियम, जो सेवानिवृत्ति के दावों से संबंधित है, की कंडिका—23.3 में यह प्रावधान है कि विष्वविद्यालय कर्मियों को उपादान की राषि राज्य सरकार के कर्मियों के उपादान की राषि के समतुल्य होगी। राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत झारखण्ड सरकार, वित्त विभाग को उक्त संकल्प में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उक्त विष्वविद्यालयों के षिक्षक एवं पदाधिकारियों को राज्य सरकार के कर्मियों के लिए अनुमान्य उपादान की राषि के समतुल्य अधिकतम सीमा 10,00,000/— (दस लाख) रुपये करने का निर्णय लिया है।

आदेषः— आदेष दिया जाता है कि इसे झारखण्ड सरकार राजपत्र में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रतिलिपि राज्य के पाँचो विष्वविद्यालयों को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेष से
ह0/—
(एन0एन0 पाण्डेय)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक—5/वि.1—22/2012 उ0 षि0—1306 राँची   राँची, दिनांक—19/10/2012

प्रतिलिपिः—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट में प्रकाषनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

ह0/—
(एन0एन0 पाण्डेय)
सरकार के प्रधान सचिव।